रजिस्टर्ड

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
अग्रसेन पब्लिक स्कूल,
दयानतपुर गौतमबुद्धनगर

पत्रांक मा0शि0प0/मेरठ/मान्यता/1656 दिनांक : 02-05-2018

विषयः हाईस्कूल नवीन (6–10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 572/15–7–2018–1(05)/2015 दिनांक 25 अप्रैल 2018 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था अग्रसेन पब्लिक स्कूल दयानतपुर गौतमबुद्धनगर को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2020 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के अधीन एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के साथ दिये जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा 6–10 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत/सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षायें संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0प0उ0

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी – इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार 'सुमन')
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

पृष्ठांकन संख्या मा0शि0प0/मेरठ/ मान्यता/ दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. उप सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,इलाहाबाद।
3. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ।
4. संभागीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्ध नगर।
6. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार 'सुमन')
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

Scanned with OKEN Scanner